न्यायालयः मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल

वाद पुकारा गया। मामला उपस्थिति पर निर्धारित है। प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त लंबे समय से अनुपस्थित है। जिसके कारण मामलें में अग्रिम कार्रवाई तथा विचारण प्रारंभ नही हो पा रहा है। न्यायालय के द्वारा मामलें में समन, जमानतीय अधिपत्र, अजमानतीय अधिपत्र एवं 82 निर्गत किया गया। परंतु पुलिस प्रशासन मामलें में अभियुक्त को उपस्थित कराने में विफल रहा। मामलें में निकट भविष्य में अभियुक्त की उपस्थिति की संभावना नही है। अतः अभियुक्त को मामलें में फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है की स्थाई अधिपत्र निर्गत करे तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल